ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ 1(27) III/ सी/निर्वा/08/पार्ट I/386 जयपुर, दिनांकः 07.02.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : ई.वी.एम.के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण करने बाबत्।
प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र कमांक 3378 दिनांक 12.9.2012 एवं पत्रांक 32 दिनांक 03.01.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग का समसंख्यक पत्र कमांक 3378 दिनांक 12.9.2012 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण करने बाबत् समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक वृहत् दिशा–निर्देश तैयार कर प्रेषित किये गये है। (प्रति संलग्न है)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र कमांक 52/10/2012–EMS दिनांक 20.12.2012 के द्वारा ईवीएम के भण्डारण हेतु निर्मित किये जाने वाले गोदाम के विषय में क्षेत्रफल निर्धारित कर इस हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है।

कृपया विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.9.2012 में जारी दिशा–निर्देश एवं आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ईवीएम भण्डारण के विषय में गोदाम निर्मित करने हेतु स्थान आरक्षित करने की कार्यवाही करें।

जिन जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) द्वारा पूर्व में स्थान आरक्षित कर प्रस्ताव विभाग को प्रेषित कर दिये है, वह उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव भिजवाए, यदि प्रस्ताव उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप है तो तद्नुसार विभाग को अवगत कराया जाए। स्थान चिन्हित करते समय आपके जिले में उपलब्ध मतदान केन्द्रों की संख्या + 25% आरक्षित ई.वी.एम की उपलब्धता जिला मुख्यालय पर मानते हुए एवं आयोग के पत्र दिनांक 20.12.2012 में दर्शाए गए क्षेत्रफल के अनुसार ईवीएम भण्डारण के लिए निर्मित किए जाने वाले गोदाम हेतु स्थान आरक्षित कर नक्शा एवं प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही की जाए।

कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) ने अवगत कराया है कि जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर, कार्यालय परिसर में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थान उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला कलेक्टर, कार्यालय के अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर स्थापित उपखण्ड अधिकारी/तहसील कार्यालय के परिसर में उपरोक्त प्रयोजनार्थ स्थान आरक्षित करने के विषय में कार्यवाही की जा सकती है।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके जिले से संबंधित ईवीएम भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के विषय में प्रस्ताव 15 दिवस में विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।